न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–66/2021
वाद प्रस्तुति दिनांक–20.07.2021
निर्णय दिनांक–04.09.2024

घासी दत्तक पुत्र माता पांची जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) (मृत्तक)
1. खुशीराम पुत्र घासी जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. हरसहाय पुत्र घासी जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. आशा पुत्री घासी जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. इलायची देवी पत्नि घासी जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

बद्री पुत्र गोलू जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) (मृत्तक)
1. राजेन्द्र पुत्र बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. राजा देवी पुत्री बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. परमा पुत्री बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. फुला देवी पुत्री बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. सम्पत देवी पुत्री बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. कैलाशी पुत्री बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
संजू कुमारी पत्नि राकेश जाति मीणा निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
सायर देवी पत्नि शेतान जाति मीणा निवासी ग्राम हमजापुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
ममता पत्नि पप्पूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
रामा देवी पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

तहसीलदार पीपलू

अधिवक्ता वादीगण– श्री कैलाश चौधरी एड0
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 –श्री घीसालाल सैनी एड0
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 व 03–श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–04 व 05–श्री देवराज गुर्जर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

...ा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 रा.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 10, 175/5, 187/7, 187/9, 19/3, 190/3, 191, 192/1, 194/1, 2085/1, 2180/3, 22/3, 2857, ..., 3037/3, 3041/1, 3063/3, 3064/2, 3075/3, 3080/3, 3087/1, 3102/2, 3104/2, 66/1 व ...7/3 कुल किता 26 कुल रकबा 13.8716 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना भू.अ.नि. क्षेत्र तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयातं वादी व प्रतिवादी की संयुक्त ... व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजीयात है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा ... हिस्सा प्रतिवादी का है। वादी व प्रतिवादी उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अपने उपरोक्त वर्णित हक व ... मालिक, स्वामी, काबिज, खातेदार, काश्तकार है। उपरोक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी बहामी बंटवारा ...वादी व प्रतिवादी अलग अलग खेत बनाकर मेर डालकर अपने अपने हक व हिस्से पर बहैसियत खातेदार ...स्वामी के काबिज होकर वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से ... मोके पर काबिज चला आ रहा है। परन्तु उक्त आराजीयात का पक्षकारान् के मध्य विधिवत् रूप से ... नहीं हुआ है। जिससे आये दिन पक्षकारान् के मध्य मेर कोर को लेकर विवाद होता है। इस कारण वादी ... आराजीयात का विधिवत् रूप से तकास्मा करवाये जाने एवं अलग से खाता कायम कराया जाने हेतु वाद किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण के जवाब से पूर्व एक ... अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. संजू कुमारी पत्नि राकेश जाति मीना निवासी ...शनपुरा तह0 निवाई व सायर देवी पत्नि शैतान जाति मीना निवासी हमजापुरा तह0 पीपलू ने जरिये ...षक श्री नन्दकिशोर शर्मा प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने ... पत्र आदेश 1 नियम 10 का जवाब पेश न कर, प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जाहिर ...उभयपक्ष की सहमति के आधार पर प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को वाद में ...र बनाया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री घीसालाल सैनी ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत कर ... किया कि उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। वादी व ...ादीगण ने अपने 1/2, 1/2 हिस्से का मौके पर वर्षो पूर्व ही बहागी बंटवारा कर रखा हैं तथा उसी अनुसार ... किसी रोक टोक के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा भूमि आराजी ख0न0 175/5 रकबा ...55 हैक्ट. में मेरा 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा वादी का है। वादी का 1/2 हिस्सा मुख्य रोड़ झिराना से

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

ी रोड से लगवा उत्तरी दिशा की तरफ है और इसी अनुसार मौके पर बंटवारा कर वर्षो से काबिज होकर
रोक टोक के काश्त करते चले आ रहे है लेकिन मुझे घरेलू कार्य के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के
ा मैंने ख0न0 175/5 के मेरे दक्षिण दिशा के हिस्से 1/2 का 3/4 अर्थात कुल भूमि का 3/8 हिस्सा
ादी संख्या 02 व 03 को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है। मैंने मेरा 1/2 हिस्सा जो मौके पर दक्षिण
की तरफ है, उसमें से ही बेचान किया हैं। उत्तर दिशा की तरफ 1/2 हिस्सा घासी का है। जिसको बेचान
किया है। मैने तो बाहमी बंटवारा में जो दक्षिण दिशा का हिस्सा है। उसमें से ही 3/8 हिस्सा क्रेतागण को
किया है। मेरी आयु लगभग 75 वर्ष हो चुकी है। मैं अनपढ़ हूँ। विक्रय पत्र में यदि क्रेतागण घासी के हिस्से
लिखवा दिया तो गलत है। मैने मेरे काबिज हिस्से को बेचा है। घासी का 1/2 हिस्सा जो रोड़ की तरफ है।
ो नहीं बेचा है। यदि विक्रय पत्र घासी के हिस्से को लिखवाया है तो वो मेरी जानकारी से छिपाकर लिखवाया
होगा जो गलत है। उक्त ख0न0 175 रकबा 07–19 बीघा जो मेन रोड़ डिग्गी–झिराना पर स्थित हैं। मैं
–1/2 हिस्सा था। लेकिन बद्री ने सम्पूर्ण खाते में से 05–05 बीघा पूर्व में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को
न कर दिया था। जिसका कब्जा उक्त ख0न0 175 में दे दिया है। जो मेन रोड पर था तथा हमे मेन रोड से
कर अन्य जगह कब्जा दे दिया, विवाद होने के कारण हमने उक्त ख0न0 175 में मेन रोड पर कब्जा दे दिया।
बची भूमि 02–14 बीघा पर प्रतिवादी पीछे की तरफ काबिज है। क्योंकि उसने मेन रोड के हिस्से को पहले ही
न कर दिया था तथा अब प्रतिवादी ने 01–07 बीघा में से 01–00 बीघा भूमि का बेचान कर दिया। जो पीछे
तरफ स्थित है। जहां पर बद्री का कब्जा था और उसी कब्जे की जमीन पर बद्री काश्त करता था। वादी व
प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य वर्षो पूर्व ही मौके पर बंटवारा हो चुका है और उसी अनुसार हम अपने हिस्से पर
ज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर बंटवारा हो चुका है। जिससे हम वादी व प्रतिवादी सहमत है
मैने मेरे बंटवारे में आये हिस्से को ही बेचान किया है। यदि क्रेता वादी के हिस्से को जबरन कब्जा करे तो
है। वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष स्वीकार है। मौके पर कब्जे अनुसार दावा डिक्री किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा व जवाब दावा
त कर निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 175/5 रकबा 0.6965 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना में से प्रतिवादी
ा 02 व 03 ने प्रतिवादी संख्या 01 से 3/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2021 को खरीद
कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा मौके पर विक्रय पत्र अनुसार दिये गये कब्जे अनुसार काबिज होकर उपयोग
ोग करती चली आ रही है। लेकिन वादी ने प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को वाद में बिना पक्षकार बनाये ही
तरफा में तकास्मा का वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। क्योंकि वादी का उद्देश्य तकास्मा
ने का नहीं होकर के प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को उक्त भूमि से बेदखल करने व परेशान करना है। वाद पत्र
चरण संख्या 03 गलत है। स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 अपनी भूमि पर जहां प्रतिवादी संख्या 01
मौके पर दी थी। उस हिस्से पर काबिज है। लेकिन वादी बिना वजह ही प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को बेदखल
ने पर आमादा है। ख0न0 175/5 रकबा 0.6955 हैक्ट. में से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का भी विक्रय पत्र में
ये गये कब्जे अनुसार तकास्मा किया जावे तथा अलग–अलग खाता कायम किया जावें। वादी द्वारा बताये गये

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

मनगढ़त है। वादी द्वारा बताये गये तथ्य मनगढ़त है। वादी को प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के हक में हुए पत्र की सम्पूर्ण जानकारी थी। उसके बावजूद भी वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को बिना पक्षकार बनाये का वाद प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को विक्रय पत्र का राजस्व रिकॉर्ड में अमल ही वादी का मुख्य उद्देश्य है। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा हैं। प्रतिवादीगण की भूमि ख0न0 175/5 के सहखातेदार काश्तकार है। जिनको पाबन्द नहीं किया जा है। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। लेकिन वादी ने एकतरफा स्थगन प्राप्त कर उसकी आड़ में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 जो महिलाये है। उनको काश्त करने में परेशान किया है। इस कारण वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह भूमि आराजी ख0न0 175/5 0.6955 हेक्ट. में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को उसके हिस्से में व कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करे तथा करने में अवरोध कारित नहीं करे। अतः जवाब काउण्टर प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि भूमि ख0न0 175/5 0.6955 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम झिराना का वादी व प्रतिवादीगण का मौके पर दिये गये कब्जे व हिस्से तकास्मा किये जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली पर उभयपक्ष की प्राथमिक निर्णय वास्ते बहस सुनी जाकर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना हुए मौके पर कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की ती में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु आदेशित किया गया था तकास्मा रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रामा देवी पत्नि सीताराम व ममता देवी पत्नि न जाति मीणा निवासी ग्राम झिराना ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर कथन किया की वादपत्र में अंकित में प्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका उक्त दावे में हित निहित है तथा हितबद्ध पक्षकार ना जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है ताकि वाद का उचित निस्तारण किया जा सके। अतः प्रार्थना पत्र किया जाकर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जावे। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र किया जाकर प्रार्थीगण को प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के रूप में संस्थापित किया जाकर पक्षकार बनाया तदुपरान्त प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की और से उपस्थित अधिवक्ता श्री देवराज गुर्जर ने उक्त वाद का पेश न कर सीधे बहस का निवेदन कर वाद वादी पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार राजस्थान काश्तकारी यम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया। उक्तानुसार ही संशोधित प्राथमिक डिक्री किये जाने में उभयपक्ष ने सहमति जाहिर की। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 5 के बीच दिनांक 02.08.2023 को संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार पीपलू को राजस्थान ाकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर कब्जे व राजस्व र्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था। जिसी ना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 3292 दिनांक 27.09.2023 से तकास्मा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर बहस से पूर्व प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री
ोर शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत् कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त उनवानी
में जो तकास्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के कब्जे के विपरित बनायी गई है।
ूमि ख0न0 175/5 रकबा 0.6955 हैक्ट. का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने प्रतिवादी संख्या 01 से
हिस्सा रोड से ख0न0 175/4 के लगवा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर उसी अनुरूप कब्जा प्राप्त
था। लेकिन वादी द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर रोड के लगवा स्वयं का कब्जा दिखाकर
ा रिपोर्ट बना ली है, जो गलत है। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की सूचना भी नही दी गई है तथा वादी ने
कर्मचारियो से मिलीभगत करके गुपचुप तरीके से तकास्मा रिपोर्ट कब्जे के विपरित बनायी गई है, जो
किये जाने योग्य है। राजस्व नियम 18 से 21 की पालना भी नही की गई है। वादी ने मनमुताबिक रोड पर
ंग भरवा लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का हिस्सा पीछे की तरफ छोड दिया है, जो नियमो के
है। जबकि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का कब्जा रोड से ख0न0 175/4 के लगवा है। उक्त कुरेजात
को निरस्त किया जाकर पुनः तहसीलदार पीपलू को आदेश प्रदान करे की वे प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को
पत्र में दिये गये कब्जे अनुसार तकास्मा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे।

अधिवक्ता वादीगण ने अपने जवाब में बताया की जो तकासमा रिपोर्ट तैयार की गई है। वह बिल्कुल मौके
के अनुसार मौके पर जाकर बनायी गई है। जो सही है। वादी व प्रतिवादीगण वर्षो पूर्व ही आपसी सहमति
से पर बाहमी बंटवारा कर बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अलग अलग मेड डालकर
अलग खेत बनाकर वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जो बिल्कुल सही है। जिस पर वादी
वादीगण के हस्ताक्षर है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खारिज किये जाने योग्य है। ख0न0 175/5
0.6955 हैक्ट. वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि है और प्रतिवादी संख्या
अपने हिस्से की भूमि में से 3/8 हिस्सा जहां पर अपना कब्जा है। वही बेचान किया है और वही पर कब्जा
या है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पति बैंक में कर्मचारी है, जो चालाक किस्म के व्यक्ति है तथा
दी संख्या 01, 70–75 साल का बुजुर्ग, अनपढ व सीधा साधा व्यक्ति है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर
पत्र में रोड से लगवा ख0न0 175/4 के लगवा लिखवा दिया है। प्रतिवादीगण इस तथ्य को छिपाकर
पत्र करवाया है, जो गलत है ओर कानून की दृष्टि में भी संयुक्त खातेदारी की भूमि पर जब तक विधिवत्
ा नही हो जाता है, तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा माना जाता है। संयुक्त
ारी की भूमि के बेचान में पर्टिकुलर एरिया का बेचान विधि विरूद्ध है। ऐसा विक्रय पत्र स्वतः निरस्त माना
है तथा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय भी उभयपक्ष को मौके पर बुलाया गया है। जिस पर वादी व
ादी संख्या 01 व 04, 05 मौके पर आये है। प्रतिवादी संख्या 02, 03 को भी सूचना दी गई है। प्रतिवादी
ा 02, 03 के पति बैंक मैनेजर होने से गरीब वादी के हिस्से पर नाजायज कब्जा करना चाहते है। विक्रय पत्र
आड में वादी के 1/2 हिस्से की रोड वाली जमीन पर नाजायज कब्जा करने की नीयत से वादी को हेरान व
ान कर रहे है। सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत व गुपचुप तरीके से रिपोर्ट बनाने का लांछन लगया है, जो

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने झूठे व मनघंड़त तथ्यो के आधार पर मौके की स्थिती से कर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो गलत है। खारिज फरमाया जावे। उक्त तकास्मा रिपोर्ट राजस्व नियम की पालना में बनायी गई है, जो बिल्कुल सही है। वादी ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि में ही रंग . शेष हिस्सा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पास मौजूद है। ऐसी स्थिती में यह कहना बिल्कुल गलत है। ने रोड पर 1/2 हिस्से से अधिक हिस्सा लिया हो। बल्कि अपना हिस्सा 1/2 ही लिया है। प्रतिवादी . 03, 04, 05 को मूल खातेदार बद्री ने अपना 1/2 हिस्सा मौखिक बंटवारे अनुसार बेचान किया जा अब प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा पीछे की तरफ शेष बचा था। जिसमे से बेचान किया है, जो बिल्कुल जिसके बारे में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब दावे में भी स्वीकार किया है की उक्त मूल ख0न0 175 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा मुझ प्रतिवादी संख्या 01 का था और हम दोनो रोड से लगवा अपने 1/2, स्से पर काबिज है। लेकिन मैने मेरे हिस्से 1/2 रोड वाले को पूर्व में इन्ही खातेदारो को बेचान कर चुका रोड पर मेरा हिस्सा नही है। मेरा हिस्सा शेष था, जो पीछे की तरफ था। जिसमें से ही बेचान किया हूं। है, वादी का है। जिससे मेरा कोई लेना देना नही है। इस प्रकार जहां मूल खातेदार बद्री काबिज था और नुसार तकास्मा रिपोर्ट सभी खातेदारो की सहमति से पेश की है। जिससे सभी सहमत है। लेकिन प्रतिवादी 02, 03 चालाकी कर नाजायज तरीके से वादी के 1/2 रोड वाले हिस्से पर कब्जा करना चाहते हे। जो गलत है। विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिती में प्रतिवादी संख्या 02, 03 ने वादी को हेरान व परेशान करने की से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चलने योग्य नही है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड पूर्व में क्रय किया हुआ हिस्सा साबित है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उक्त तकास्मा रिपोर्ट मुताबिक आदेश मौके पर कब्जे र न्यायालय द्वारा दिया गया था। उसी अनुसार तथा राजस्व नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए विधि र पक्षकारो की सहमति से पेश की है, जो बिल्कुल सही एवं सत्य है। किसी प्रकार की मिलीभगत नही है। स्थिती में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट खारिज फरमावे तथा अप्रार्थी/वादी का वाद मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट फरमाया जावे।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की जो तकासमा रिपोर्ट तैयार की गई है। वह मौके व के अनुसार मौके पर जाकर बनायी गई है, जो सही है। वादी व प्रतिवादीगण वर्षो पूर्व ही आपसी सहमति से पर बाहमी बंटवारा कर बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अलग अलग मेड डालकर ग अलग खेत बनाकर वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जो बिल्कुल सही है। ख0न0 175/5 बा 0.6955 हैक्ट. वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि है और प्रतिवादी संख्या ने अपने हिस्से की भूमि में से 3/8 हिस्सा जहां पर अपना कब्जा है। वही बेचान किया है और वही पर कब्जा लाया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पति बैंक में कर्मचारी है, जो चालाक किस्म के व्यक्ति है तथा तिवादी संख्या 01, 70–75 साल का बुजुर्ग, अनपढ व सीधा साधा व्यक्ति है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर क्रय पत्र में रोड से लगवा ख0न0 175/4 के लगवा विक्रयपत्र में लिखवा दिया है। प्रतिवादीगण इस तथ्य को

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

विक्रय पत्र करवाया है, जो गलत है और कानून की दृष्टि में भी संयुक्त खातेदारी की भूमि पर जब तक तकास्मा नही हो जाता है, तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा माना जाता है। खातेदारी की भूमि के बेचान में पर्टिकुलर एरिया का बेचान विधि विरूद्ध है। ऐसा विक्रय पत्र स्वतः निरस्त ाता है तथा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय भी उभयपक्ष को मौके पर बुलाया गया है। जिस पर वादी व संख्या 01 व 04, 05 मोके पर आये है। प्रतिवादी संख्या 02, 03 को भी सूचना दी गई है। प्रतिवादी 02, 03 के पति बैक मैनेजर होने से गरीब वादी के हिस्से पर नाजायज कब्जा करना चाहते है। विक्रय पत्र ड में वादी के 1/2 हिस्से की रोड वाली जमीन पर नाजायज कब्जा करने की नीयत से वादी को हेरान व कर रहे है। उक्त तकास्मा रिपोर्ट राजस्व नियम 18 से 21 की पालना में बनायी गई है, जो सही है। वादी 1/2 हिस्से की भूमि में ही रंग भरवाया है, शेष हिस्सा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पास मौजूद है। ऐसी में यह कहना गलत है, की वादी ने रोड पर 1/2 हिस्से से अधिक हिस्सा लिया हो। बल्कि अपना हिस्सा ी लिया है। प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04, 05 को मूल खातेदार बद्री ने अपना 1/2 हिस्सा मौखिक बंटवारे बेचान किया जा चुका है। अब प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा पीछे की तरफ शेष बचा हिस्सा था। जिसमे बेचान किया है। जिसको प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब दावे में भी स्वीकार किया है की उक्त मूल 175 में 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा मुझ प्रतिवादी संख्या 01 का था और हम दोनो रोड से लगवा 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज है। लेकिन मैने मेरे हिस्से 1/2 रोड वाले को पूर्व में इन्ही खातेदारो को कर चुका हूं। अब रोड पर मेरा हिस्सा नही है। मेरा हिस्सा शेष था, जो पीछे की तरफ था। जिसमें से ही किया हूं। मौके पर रोड पर शेष हिस्सा वादी का ही है। जिससे मेरा कोई लेना देना नही है। इस प्रकार मूल खातेदार बद्री काबिज था और उसी अनुसार तकास्मा रिपोर्ट सभी खातेदारो की सहमति से पेश की है। सभी सहमत है। उक्त तकास्मा रिपोर्ट मुताबिक आदेश मौके पर कब्जे अनुसार न्यायालय द्वारा दिया गया उसी अनुसार तथा राजस्व नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए विधि अनुसार पक्षकारो की सहमति से पेश , जो सही एवं सत्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट खारिज फरमावे तथा ी/वादी का वाद मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने अपनी बहस में बताया की उक्त उनवानी प्रकरण में जो तकास्मा प्रस्तुत की गई है, जो प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के कब्जे के विपरित बनायी गई है। उक्त भूमि ख0न0 /5 रकबा 0.6955 हैक्ट. का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने प्रतिवादी संख्या 01 से 3/8 हिस्सा रोड से 0 175/4 के लगवा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर उसी अनुरूप कब्जा प्राप्त किया था। लेकिन द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर रोड के लगवा स्वयं का कब्जा दिखाकर तकास्मा रिपोर्ट बना ली जो गलत है। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की सूचना भी नही दी गई है तथा वादी ने राजस्व कर्मचारियो से ीभगत करके गुपचुप तरीके से तकास्मा रिपोर्ट कब्जे के विपरित बनायी गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। स्व नियम 18 से 21 की पालना भी नही की गई है। वादी ने मनमुताबिक रोड पर अपना रंग भरवा लिया है ा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का हिस्सा पीछे की तरफ छोड दिया है, जो नियमो के विपरित है। जबकि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

ादी संख्या 02 व 03 का कब्जा रोड से ख0न0 175/4 के लगवा है। उक्त कुरेजात रिपोर्ट को निरस्त किया र पुनः तहसीलदार पीपलू को आदेश प्रदान करे की वे प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को विक्रय पत्र में दिये गये अनुसार तकास्मा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने अपनी बहस में बताया की उक्त उनवानी प्रकरण में जो तकास्मा तैयार की गई है। वह पक्षकारान् की उपस्थिती में तैयार की गई है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने प्रस्तुत स्मा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही किये है। पूर्व में भी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का रोड पर 1/2–1/2 हिस्से कब्जा काश्त था एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 01 उसी अनुसार काबिज होकर वर्तमान में काश्त करते चले आ है। प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट मुताबिक कब्जे अर्थात प्राथमिक निर्णय की पालना में राजस्थान काश्तकारी नियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिती में तैयार की गई है। जिससे हम ादी संख्या 04 व 05 को कोई उज्र आपत्ति नही है। अतः मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण किया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन । अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का मुख्य तर्क यह था कि प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट कब्जे अनुसार तैयार की गई। इसलिए प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पुनः मंगवायी जावे। पत्रावली, प्राथमिक निर्णय व प्रस्तुत तकास्मा का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2023 की ा में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर तहसीलदार पीपलू के पत्र से न्यायालय को प्राप्त हुई हैं। जिस पर ोलदार पीपलू के हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि तकास्मा रिपोर्ट तहसीलदार पीपलू द्वारा ही तैयार की गई उक्त वर्णित आराजीयात में जितना हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अंकित था उतना ही हिस्सा गण को बंटवारे में दिया गया है। वादी व प्रतिवादीगण की सहमति से दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर ोलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए । व राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया उक्तानुसार ही तकास्मा रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी का मुख्य तर्क यह रहा तकास्मा रिपोर्ट कब्जे अनुसार तैयार नहीं की गई, किन्तु तकास्मा रिपोर्ट प्राथमिक निर्णय की पालना में तैयार गई है। साथ ही कथन किया है की उक्त भूमि ख0न0 175/5 रकबा 0.6955 हैक्ट. का हिस्सा प्रतिवादी ा 02 व 03 ने प्रतिवादी संख्या 01 से 3/8 हिस्सा रोड से ख0न0 175/4 के लगवा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय खरीद कर उसी अनुरूप कब्जा प्राप्त किया था। लेकिन वादी द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर रोड लगवा स्वयं का कब्जा दिखाकर तकास्मा रिपोर्ट बना ली है, जो गलत है। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है उक्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात होने के कारण य पत्र में एक विशेष दिशा किया जाना भी विधिसंगत नही है। क्योंकि संयुक्त खातेदारी की स्थिती में प्रत्येक खातेदार का किसी भू–भाग के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पास

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

क प्रस्तावित खसरा नम्बर 175/5/2 में आने जाने के लिए एपॉर्च मार्ग 175/4 से होकर है। प्रस्तावित 175/5/2, ख0न0 175/4 के लगवा है एवं 175/4 प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के नाम दर्ज राजस्व है एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने भी अपना कब्जा मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शा शीट में दिये थान पर ही होना स्वीकार किया है, जो की प्रतिवादी संख्या 01 के जवाबे दावे से स्पष्ट होता है। उक्त ा रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत् कुरेजात खारिज किया जाता है एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर वाद बाबत् तकास्मा ोयात स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट र वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना में स्थित भूमि आराजी ख0न0 187/7 रकबा 0.2529 हैक्ट., 190/3 रकबा 0.9737 हैक्ट., ख0न0 191 रकबा 0.0885 हैक्ट., ख0न0 2085/1 रकबा 0.2023 हैक्ट., /2 रकबा 0.3035 हैक्ट., ख0न0 3037/3 रकबा 0.2276 हैक्ट., ख0न0 3041/1 रकबा 0.2529 हैक्ट., 3063/3 रकबा 0.0632 हैक्ट., 22/3 रकबा 0.4932 हैक्ट., 77/3 रकबा 0.1138 हैक्ट., 66/1 रकबा ३ हैक्ट., ख0न0 3104/2 रकबा 0.4932 हैक्ट., ख0न0 10/1 रकबा 0.4047 हैक्ट., ख0न0 187/9/1 0.3983 हैक्ट., ख0न0 19/3/1 रकबा 0.2671 हैक्ट., ख0न0 2180/3/1 रकबा 0.1960 हैक्ट., ख0न0 /1 रकबा 0.2782 हैक्ट., ख0न0 3102/2/1 रकबा 0.1517 हैक्ट., ख0न0 174/2/1 रकबा 0.1771 हैक्ट.,) 175/5/1 रकबा 0.4347 हैक्ट. कुल किता 20 कुल रकबा 6.9359 हैक्ट. मृत्तक वादी घासी दत्तक पुत्र पांची जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण बैंक ऑफ बडौदा शाखा, झिराना के वारिसान वादी 1/1 ता 1/4 खुशीराम, हरसहाय पुत्र घासी व आशा पुत्री घासी, इलायची देवी पत्नि घासी जाति मीणा ह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण बैंक ऑफ बडौदा शाखा, झिराना के नाम बहिस्सा बराबर संयुक्त रूप से दर्ज र्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 192/1 रकबा 0.0885 हैक्ट., ख0न0 194/1 रकबा 1.0242 हैक्ट., ख0न0 /2 रकबा 0.1012 हैक्ट., ख0न0 3075/3 रकबा 0.5943 हैक्ट., ख0न0 3080/3 रकबा 0.3667 हैक्ट., 10 3087/1 रकबा 0.4173 हैक्ट., ख0न0 10/2 रकबा 0.4046 हैक्ट., ख0न0 187/9/2 रकबा 0.3983 ., ख0न0 19/3/2 रकबा 1.9837 हैक्ट., ख0न0 2180/3/2 रकबा 0.1960 हैक्ट., ख0न0 2857/2 रकबा 82 हैक्ट., ख0न0 3102/2/2 रकबा 0.6449 हैक्ट. कुल किता 12 कुल रकबा 6.4979 हैक्ट. मृत्तक प्रतिवादी ा 01 बद्री पुत्र गोलू हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा. सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड शाखा, निवाई के वारिसान् प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 राजेन्द्र पुत्र बद्री, राजा देवी, परमा देवी, । देवी, सम्पत देवी, कैलाशी देवी पुत्रीयां बद्री जाति मीणा. सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण आई.सी.आई. ाई. बैक लिमिटेड शाखा, निवाई के नाम बहिस्सा बराबर संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी न0 175/5/2 रकबा 0.2608 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 02 संजू कुमारी पत्नि राकेश हि. 1/2 जाति मीना सा. किशनपुरा तह0 निवाई व प्रतिवादी संख्या 03 सायर देवी पत्नि शैतान हि. 1/2 जाति मीना सा. हमजापुरा ोदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 174/2/2 रकबा 0.1770 हैक्ट. वादी संख्या 04 ममता देवी पत्नि पप्पूलाल हि. 1/2 जाति मीणा सा.देह खातेदार व प्रतिवादी संख्या 05 रामा । पत्नि सीताराम हि. 1/2 जाति मीणा सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner